पटना उच्च न्यायालय में

सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 24188/2013

में

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1507/2018

रवि कुमार सिन्हा, पिता– स्वर्गीय विजय कुमार सिन्हा, क्वार्टर नंबर 2, टाइप–IV, भविष्य निधि एन्क्लेव, ब्लॉक–एच, निवासी शहीद भगत सिंह नगर, सिटी सेंटर के पास, बसंत एवेन्यू, लुधियाना, पंजाब–141013।

अपीलार्थी/यों

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, जल संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणीगंज नहर निर्माण प्रमंडल, नरकटियागंज, पश्चिम चंपारण।
4. निदेशक–सह–जाँच पदाधिकारी, जल प्रबंधन–सह–सिंचाई उपलब्धता सुधार निदेशालय, सिंचाई भवन, पटना।
5. अधीक्षण अभियंता–सह–जन सूचना पदाधिकारी, सिंचाई निगरानी प्रकोष्ठ–316 (सिंचाई भवन), पटना।

प्रतिवादी

उपस्थिति :

अपीलार्थियों के लिए	:	श्री नंद किशोर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता
प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए	:	श्री दीपक सहाय जमुआर, एसी एएजी–4

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी

और

माननीय न्यायमूर्ति एस. बी. प्रसाद सिंह

सीएवी का निर्णय

(माननीय न्यायमूर्ति एस. बी. प्रसाद सिंह द्वारा)

दिनांक : 05–05–2025

पक्षों को सुना।

2. अपीलकर्ता ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 24188 वर्ष 2013 में दिनांक 22.06.2018 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता के दिवंगत पिता त्रिवेनी नहर में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात थे। त्रिवेणी नहर निर्माण प्रमंडल, नरकटियागंज के अंतर्गत कौरेवा, कैंप सिक्ता स्थित निर्माण अनुमंडल में कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत थे, 2003–05 की अवधि के दौरान वे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने न तो कोई सरकारी कार्य किया और न ही 2004 के लोकसभा चुनाव में चुनाव संबंधी कार्य किया, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश का घोर उल्लंघन है। दोषी कर्मचारी को 30.04.2005 के ज्ञापन संख्या 404 (रिट याचिका का अनुलग्नक–4) द्वारा 28.8.2013 से अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही के मद्देनजर निलंबित कर दिया गया था। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सीसीए नियम, 1931 की धारा 35 के तहत 24.5.2005 के संकल्प द्वारा प्रारंभ की गई थी, जो प्रतिवादियों की ओर से दायर प्रति–शपथपत्र का अनुलग्नक 'क' है। उक्त प्रस्ताव की एक प्रति, आरोपों और साक्ष्यों सहित, कर्मचारी को विधिवत रूप से सूचित कर दी गई थी। हालांकि, उन्होंने न तो कार्यपालक अभियंता के दिनांक 25.4.2005 के पत्र में दिए गए निर्देश के अनुपालन में मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया और न ही अपने स्थायी पते पर वैध नोटिस की तामील होने के बावजूद जांच अधिकारी के समक्ष अपना लिखित बचाव प्रस्तुत किया। इसके बाद, प्रतिवादियों ने 26.6.2005 और 25.10.2005 को व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित किया, जो कि... प्रति–हलफनामे के अनुलग्नक–ख श्रृंखला से यह स्पष्ट है। दिनांक 23.5.2005 का आरोप पत्र भी अनुलग्नक–ख श्रृंखला के साथ संलग्न है। पर्याप्त नोटिसों के बावजूद, याचिकाकर्ता के दिवंगत पिता मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित नहीं हुए और निलंबन आदेश की अवहेलना करते रहे, साथ ही उनके खिलाफ आरोप भी तय किए गए थे। 30.12.2005 को, जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें दोषी के खिलाफ आरोपों को सिद्ध पाया गया। जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रति–हलफनामे के अनुलग्नक–घ के रूप में संलग्न है। 25.06.2010 को, दोषी को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उत्तर उन्होंने 22.07.2010 को

(234

दिया और अंततः, दिनांक 11.10.2020 के ज्ञापन संख्या 1535 के माध्यम से दोषी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

4. जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी ने कुछ ही दिनों में जल्दबाजी में विभागीय जांच पूरी कर ली और सतही तरीके से अपीलकर्ता के दिवंगत पिता को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

5. इस संबंध में दिनांक 11.10.2010 के बर्खास्तगी आदेश को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश
आ०स०–22 / नि०सि० (मोति०)–8–1 / 2005 / 189 / पटना,
दिनांक–11–10–10

श्री विजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, त्रिवेणी नहर निर्माण अवर प्रमण्डल, कौरेवा, शि०–सिकरा (त्रिवेणी नहर निर्माण प्रमण्डल नरकटियागंज के अधीन) को स्वेच्छा से अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने सरकारी कार्य का निष्पादन नहीं करने लोक सभा चुनाव कार्य 2004 में भाग नहीं लेना तथा अनुपस्थिति विवरणी निबंधित डाक से भेजने एवं नियंत्री पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0–37 सह ज्ञापांक 404 दिनांक–30.04.05 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम 55 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–518 दिनांक 24.5.05 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

निलंबन अवधियों लिए निर्धारित गुख्यालय "निदेशक, जल प्रबंधन एव सिंचाई उपलब्धि सुधार निदेशालय, पटना" में श्री सिन्हा द्वारा योगदान नहीं दिया गया और न ही संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपना कोई लिखित बयान ही दिया गया। इस बीच संदर्भित आदेश एवं पत्रों का तामिला श्री सिन्हा के स्थाई पते पर कराने का प्रयास निष्फल होने पर दो बार क्रमशः दि०–26.06.2005 तथा दि0–25.10.2005 को समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित की गई। फिर भी श्री सिन्हा द्वारा मुख्यालय में योगदान नहीं दिया गया। श्री सिन्हा द्वारा विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने के परिपेक्ष्य में श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप को स्वतः प्रमाणित होने का उल्लेख करते हुए जाँच पदाधिकारी द्वारा अग्रेतर

कार्रवाई विभाग द्वारा किये जाने का अनुरोध किया गया। ऐसी स्थिति में आरोपों को स्वतः प्रमाणित मानते हुए क्यों नहीं सेवा से बर्खास्त कर दिया जाय, इस बिन्दु पर श्री सिन्हा से विभागीय पत्रांक 960 दिनांक 25.6.10 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री सिन्हा द्वारा दिये गये द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर दिनांक 22.7.10 की समीक्षा एवं जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन जिसमें आरोप स्वतः प्रमाणित होने का उल्लेख है, की समीक्षा विभाग द्वारा की गई सम्यक समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाये गयेः–

(1) श्री सिन्हा द्वारा न तो निर्धारित मुख्यालय में योगदान ही किया गया एवं न ही विभागीय कार्यवाही में श्री सिन्हा उपस्थित हुए जबकि इसके लिए उनके निवास स्थान के पते पर निबंधित डाक से सूचना भेजी गई एवं प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा दो बार दैनिक समाचार पत्र में सूचना भी प्रकाशित की गई।

(2) श्री सिन्हा को निलंबन की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात भी उनके द्वारा निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में आजतक योगदान नहीं किया गया है।

(3) आरोपित पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए जिसके फलस्वरूप जाँच पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसने आरोपों के स्वतः प्रमाणित होने का उल्लेख किया गया है।

(4) उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के जालोक में श्री सिन्हा के विरुद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाया गया–

(क) विभागीय एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की जान बूझ कर अवहेलना करना।

(ख) मुख्यालय एवं कार्यस्थल से लगातार अनुपस्थित रहना एवं बिना कार्य किये ही वेतन भुगतान के लिए उच्चाधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाना।

(ग) मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण श्री सिन्हा, का० आ० द्वारा लोक सभा चुनाव–2004 का चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति पत्र को न तो प्राप्त किया गया और न निर्वाचन कार्य में ही भाग लिया गया।

श्री सिन्हा द्वारा निलंबन आदेश दि०–30.04.05 के बाद से आजतक मुख्यालय में योगदान नहीं देने के कारण इनकी अनधिकृत अनुपस्थिति लगातार पाँच वर्षों से भी अधिक की हो चुकी है इसलिए रिहार सेवा सहिता के नियम–76 के प्रावधान के तहत श्री सिन्हा बर्खास्तगी के दंड के पात्र भी हो चुके है।

(232

उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिन्हा को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। अतः उक्त विभागीय निर्णय के आलोक में श्री विजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, त्रिवेणी नहर निर्माण अवर प्रमण्डल, कौरेवा, शि०–सिकटा (आई०डी० जे०–4505) को आदेश निर्गत होने की तिथि से सेवा से बर्खास्त (dismiss) किया जाता है।

(देवी रजक)
अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञापांक–1535
दिनांक 11.10.10

प्रतिलिपिः–सभी संयुक्त सचिव, (प्रबंधन)/सभी उप सचिव (प्रबंधन)/सभी अवर सचिव, (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग/निदेशक, जल प्रबंधन एवं सिंचाई उपलब्धि सुधार निदेशालय, पटना/अधीक्षण अभियन्ता तिरहुत गहर अंचल, रक्सौल/कार्यपालक अभियन्ता, त्रिवेणी नहर प्रमण्डल, नरकटियागंज/प्रभारी वायोडाटा/कम्प्यूटर कोषांग/प्रबंधन सूचना प्रणाली कोषांग, जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–7,9,12 एवं 22 जल संसाधन विभाग/श्री विजय कुमार सिन्हा, सुपुत्र श्री राम चन्द्र प्रसाद, ग्रा० एवं मो०–दुग्गल, भाया–रफीगंज, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(देवी रजक)
अभियंता प्रमुख (मध्य)

6. अपीलकर्ता के स्वर्गीय पिता ने वर्ष 1979 में कनीय अभियंता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और उसके बाद दोषी कर्मचारी स्वर्गीय विजय कुमार सिन्हा की सेवाएँ 13 जनवरी, 1987 को स्थायी घोषित कर दी गईं। उन्हें पहली बार कालबद्ध पदोन्नति 17.05.1993 को दी गई और 31.03.2003 तक उनकी सेवाओं के विरुद्ध शिकायतें दर्ज नहीं की गईं। 24.02.2002 को उनका तबादला त्रिवेणीगंज नहर कर दिया गया और 9 अप्रैल, 2003 को उनकी कार्यभार ग्रहण स्वीकार कर ली गई। इसके बाद अपीलकर्ता के स्वर्गीय पिता ने अपनी कार्यभार ग्रहण स्वीकार करने के लिए सी.डब्ल्यूजेसी संख्या 1807/2001 दायर की और विभाग द्वारा वेतन/भुगतान रोक दिया गया था, जिसे 07.07.2004 को स्वीकार कर लिया गया और संबंधित प्राधिकारी को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। दोषी कर्मचारी को 52,496 रुपये का जुर्माना लगाया गया, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके खिलाफ कोई विभागीय जांच शुरू नहीं की गई

थी। इसके बाद अपीलकर्ता के दिवंगत पिता ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अपूर्ण अनुपालन के लिए एम.जे.सी. संख्या 470/2005 दायर की और उक्त अवमानना याचिका में प्रतिवादी कार्यपालक अभियंता ने आदेश जारी किया। 18 मार्च, 2005 को 3,95,850/– रुपये का भुगतान किया गया और अपीलकर्ता के दिवंगत पिता को 25.04.2005 के पत्र द्वारा मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता के दिवंगत पिता को 30 अप्रैल, 2005 को निलंबित कर दिया गया और ज्ञापन संख्या 1535 दिनांक 11.10.2020 द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

7. इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता के पिता ने संबंधित प्राधिकारी के विरुद्ध रिट याचिका दायर की थी, जिसके संबंध में प्रतिशोधात्मक कार्रवाई और बदले की भावना से उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया था, और उनकी बात सुने बिना ही जांच अधिकारी ने उन्हें दोषी पाया और अपीलकर्ता के दिवंगत पिता के विरुद्ध एकतरफा रूप से बड़ी सजा (बर्खास्तगी) का आदेश पारित किया गया।

8. इन खामियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के दिवंगत पिता को जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि सेवा से बर्खास्तगी की कड़ी सजा दी गई है। ऐसी स्थिति में, जांच अधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए थी कि क्या दोषी कर्मचारी को साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। इन मुद्दों पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले में साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर न देने से संबंधित कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कर्नाटक राज्य बनाम उमेश** मामले **(2022) 6 एससीसी 563** में विस्तार से विचार किया है कि किन परिस्थितियों में रिट न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप कर सकता है। उपरोक्त निर्णय का पैराग्राफ–22 इस प्रकार है:–

> 22. न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में, न्यायालय अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों पर अपीलीय मंच के रूप में कार्य नहीं करता है। न्यायालय अनुशासनात्मक जांच के दौरान दुर्व्यवहार के निष्कर्ष

पर पहुंचने वाले साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं करता है और न ही उसकी जाँच करता है।

(i) प्राकृतिक न्याय के नियमों का अनुपालन किया गया है।

(ii) कदाचार का निष्कर्ष कुछ साक्ष्यों पर आधारित है;

(iii) अनुशासनात्मक जाँच के संचालन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों का पालन किया गया है, और

(iv) क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों में विकृति से ग्रस्त हैं, और

(v) यह दंड सिद्ध दुराचार के अनुपात में दंड अनुचित है। (कर्नाटक राज्य बनाम (21820) 3 एससीसी 423 (2020)/एससीसी (एल एंड एस) 547, भारत संघ बनाम गणायुथम, (1997) 7 एससीसी 463 1997 एनसीसी (एलएएस) 1806, बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत यूनियन संघ (1995) 6 एससीसी 749, 1996 एसयूसी (एलएसएस) 80 आर.एस. सैनी बनाम पंजाब राज्य (1999) एसएससी 90, 1999 एससीसी (एल एंड एन) 1424 और आइ एस एफ अबरार अली, (2017) 4 एससीसी 507 (2018)/एसएससी (एल एंड एस) 310)

रेखांकित भाग दिया गया है।

9. अपीलकर्ता का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप होगा, जैसा कि कर्नाटक राज्य अपर उद्धृत के मामले में दिनांक 25.06.2010 के आदेश और दिनांक 22.06.2018 को सीडब्ल्यूजेसी सं० 24188 वर्ष 2013 में पारित आदेश के संबंध में है।

10. इस स्तर पर, हमने पाया है कि निष्कासन आदेश को रद्द करने की स्थिति में क्या समाधान होगा, इस तथ्य को देखते हुए कि अपीलकर्ता के दिवंगत पिता को पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना गया है, क्योंकि यदि वे जीवित होते और सेवा मे होते तो वे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके होते, इसलिए पुनः नियुक्ति का कोई अर्थ नहीं है। इसके अलावा, यह 20 साल बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी को पुनर्विचार के लिए भेजे जाने का मामला नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जाँच अधिकारी ने अपीलकर्ता के दिवंगत पिता को अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना एकतरफा आदेश पारित करने में त्रुटि की है। इस बिंदु पर अपीलकर्ता ने अपना मामला सिद्ध कर दिया है।

11. चाहे जो भी हो, दोषी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के लिए यह जानकर अत्यंत स्तब्धता है कि उसे सेवा से बर्खास्तगी की सजा इस आधार पर दी गई है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने और अपने विरुद्ध प्रस्तुत गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। विभागीय जांच में ये सभी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। हालांकि, लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप को ध्यान में रखते हुए, हम दिनांक 25.06.2010 की सेवा से बर्खास्तगी की सजा को संशोधित करते हुए दिनांक 25.06.2010 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा लागू करते हैं। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता के स्वर्गीय पिता कनीय अभियंता के रूप में उनकी नियुक्ति की तिथि से लेकर दिनांक 25.06.2010 तक, जिस तिथि को बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था, उस तिथि तक की सेवा और मौद्रिक लाभों के हकदार है, जिसे हमने अनिवार्य सेवानिवृत्ति में संशोधित किया है।

12. उपर्युक्त अंतराल के लिए, अपीलकर्ता के दिवंगत पिता परिणामी मौद्रिक लाभों के हकदार हैं और इनकी गणना और वितरण किया जाएगा। यदि उनके द्वारा धारित पद पेंशन योग्य पद है, तो संबंधित प्राधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे 25.06.2010 से पेंशन निर्धारित करें और 15.01.2024 तक अपीलकर्ता को पेंशन की गणना एवं वितरण करें, क्योंकि वर्तमान अपीलकर्ता की माता, जो अपने पति की पारिवारिक पेंशन की वैध प्राप्तकर्ता थीं, का 15.01.2024 को निधन हो चुका है। उपरोक्त प्रक्रिया इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(728

13. तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 22.06.2018 द्वारा पारित सी.डब्लू.जे.सी. सं० 24188 वर्ष 2013 को रद्द कर दिया।

14. एल.पी.ए. को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है।

(एस. बी. प्रसाद सिंह, जे)

(पी. बी. बजंथरी, जे)

शगीर/–

एएफआर/एनएएफआर	एएफआर
सीएवी तिथि	19.01.2025
अपलोड करने की तिथि	05.05.2025
संचरण तिथि	एन/ए

Anjna